भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1812

उत्तर देने की तारीख - 31.07.2023

शिक्षा में बालिकाओं और महिलाओं की भागीदारी

1812**. श्रीमती हेमामालिनी**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा शिक्षा में बालिकाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में कोई उपबंध किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में लिंग समावेशन निधि की स्थापना का उपबंध किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 'न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा' पर केंद्रित है, जो इस विचार को प्रदर्शित करती है कि किसी भी बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के कारण शैक्षिक अवसर के संदर्भ में पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के मामलों को ध्यान में रखा गया है, जिसमें महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनईपी राज्यों और स्थानीय सामुदायिक संगठनों की साझेदारी के माध्यम से शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए जेंडर को एक क्रॉस-कटिंग प्राथमिकता के रूप में निर्धारित करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए एक लैंगिक समावेशन कोष (जीआईएफ) स्थापित करने का प्रावधान है ताकि सभी लड़कियों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण किया जा सके। बालिकाओं के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु एनईपी के उद्देश्यों को सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के लिए समर्पित संसाधनों को आवंटित करके समग्र शिक्षा 2.0 के तहत विशिष्ट प्रावधानों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलों को लक्षित किया गया है, जिनमें बालिकाओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए पड़ोस में विद्यालय खोलना, आठवीं कक्षा तक बालिकाओं को निःशुल्क वर्दी एवं पाठ्य-पुस्तकें, दूरस्थ/पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए अतिरिक्त शिक्षक एवं आवासीय क्वार्टर, महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, सीडब्ल्यूएसएन की बालिकाओं को कक्षा I से कक्षा XII तक वजीफा, बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक संवेदीकरण कार्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों सहित लैंगिक संवेदनशील शिक्षण-अधिगम सामग्री आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) संस्वीकृत हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों की बालिकाओं हेतु कक्षा VI से XII तक आवासीय विद्यालय हैं। दिनांक 30.06.2023 की स्थिति के अनुसार देश में 6.88 लाख लड़कियों के नामांकन के साथ कुल 5639 केजीबीवी संस्वीकृत किए गए हैं। केजीबीवी के उन्नयन का कार्य वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया था और वर्ष 2022-23 तक कुल 357 केजीबीवी को टाइप-II (कक्षा 6-10) में उन्नयन हेतु अनुमोदित किया गया है एवं 2010 केजीबीवी को टाइप-III (कक्षा 6-12) में उन्नयन हेतु अनुमोदित किया गया है।

****